न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 पुनरावलोकन

रिव्यू 2782 I/14

सालम सिंह पिता प्यार जी जाति गेहलोत

निवासी–ग्राम सिलोदा तहसील–कालीपीपल

जिला–शाजापुर (म.प्र.)

विरूद्ध

1. नर्बदा बाई पति धनसिंह
2. सोहनलाल पिता भंवर जी
3. रामचरण उर्फ रामकरण पिता भंवर
4. केशर सिंह पिता भंवर जी

समस्त जाति–गेहलोत निवासी–ग्राम सिलोदा

तहसील–कालापीपल जिला–शाजापुर म.प्र.

5. म.प्र. शासन द्वारा पटवारी ग्राम–सिलोदा

तहसील–कालापीपल जिला–शाजापुर म.प्र.

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक–146–1/2014 में दिनांक 21–01–2014 को प्रशासकीय सदस्य श्री मनोज गोयल द्वारा पारित आदेश के पुनरावलोकन हेतु आवेदन अंतर्गत धारा–51 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 2782–एक/2014 **जिला शाजापुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02–03–2016	उभयपक्ष अधिवक्तागण को रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 146–एक/2014 में पारित आदेश दिनांक 21–01–2014 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	